न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 30/2021 (2021/48)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 27.01.2021

शीर्षक

1. सम्पतसिंह पिता बालुसिंह राजपूत निवासी अरनिया जांगीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. मूलसिंह पिता बालूसिंह राजपूत
2. डालू पिता नारू बलाई
3. रामलाल पिता नारू बलाई
4. हेमा पुत्री नारू बलाई
5. भगवतसिंह पिता बालूसिंह राजपूत
6. गुलाबसिंह पिता बालूसिंह राजपूत
7. गिरधारी पिता मांगु गाडरी
8. देऊ पुत्री मांगु गाडरी
9. रामी पत्नि मांगु गाडरी
10. कनीराम पिता कालू गाडरी
11. ताकेश्वरसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत
12. भुनेश्वरसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत
13. बजरंगसिंह पिता जेठुसिंह राजपूत
14. बेबी कंवर पुत्री जेठुसिंह राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता मदनकंवर पत्नि जेठुसिंह राजपूत
15. मदनकंवर पत्नि जेठुसिंह राजपूत
16. मिठुकंवर पुत्री जेठुसिंह राजपूत
17. संजु कंवर पुत्री जेठुसिंह राजपूत
18. उदा पिता नेनु गाडरी
19. केशु पिता नेनु गाडरी
20. मोहन पिता नेनु गाडरी
    सर्व निवासी अरनिया जांगीर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

–विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–30 / 2021 (2021 / 48)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–12.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम अरनिया जांगीर पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 400 रकबा 0.69 हे0, 411 रकबा 1.23 हे0, 413 रकबा 1.60 हे0, 415 रकबा 0.50 हे0, 459 रकबा 1.35 हे0, 460 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 5.43 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 128 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 एवं 13 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 11, 12 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोई अनुतोष नहीं चाहा। पेरोकार सरकार उपस्थित। औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अरनिया जांगीर पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 400 रकबा 0.69 हे0, 411 रकबा 1.23 हे0, 413 रकबा 1.60 हे0, 415 रकबा 0.50 हे0, 459 रकबा 1.35 हे0, 460 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 5.43 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 128 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1500/– (एक हजार पांच सौ रू. मात्र) राजकोष मे जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1500/– (एक हजार पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner